

पत्रावली आप पेश हुई। वकील डाक्टर उपस्थित।
पत्रावली वाले आगे कार्यवाही कम्प कोर्ट सराय
में दिनांक 6.6.18 को पेश हो।

पत्रावली आप कम्प कोर्ट सराय में पेश हुई। पत्रावली
की कंबलित वाद पत्र का निस्तारण हो चुका है।
लेकिन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात आगे
निस्तारण होने तक अपापीयता को लड़ने अर्थात्
निषेधाज्ञा के पाबन्द किया गया है कि वे उक्त वर्जित
गुमिले गौके की स्थिति बनाये रखें। पत्रावली कम्प
शुभार होकर नम्बर के काम हो तथा गुमिले के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नम्बरवादी (अज्ञान)